# यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

# UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहापूबन्धक (मानव संसाधन विभाग), "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून -248001 (उत्तराखण्ड) दूरभाष-0135-2530584 फैक्स-0135-2531646
Dy. General Manager (Human Resource), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun -248001 (Uttarakhand) Phone -0135-2530584 Fax -0135-2531646
CIN No.U40101UR2001SGC025866
ISO 9001,14001 Certified

---

**कार्यालयज्ञापन**

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापनसंख्या 115/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/Empanelment of Hospitals Dated: 16/06/2022 डा० अरूण कुमार चौबे, कृश्णा सर्जिकल सैन्टर, सैयद रोड़, विकासनगर(देहरादून) के पत्र दिनांक 24.06.2022 द्वारा दी गई लिखित सहमति के क्रम में **कृश्णा सर्जिकल सैन्टर, सैयद रोड़, विकासनगर(देहरादून)** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतयाआश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेशनलि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड मेंआमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्तकार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालयमें नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुएचिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2023 तक के लिये**मान्यता विस्तारित की जाती है।

1. उक्तचिकित्सालय उपरोक्त अंकित पूर्व आदेश संख्या 115/UJVNL/05/DirectorHR/DGM(IR)/ Empanelment of Hospitals Dated: 16/06/2022 के साथ संलग्न दर सूची में दर्शायी गई दरोंपर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा।
2. चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओ केअनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :-

a मान्यताअवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशिलेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।

c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, कोअस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम मेंअथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजोंद्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालयप्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवंउपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो के अनुपालन हेतु सहमति रू 100.00 के नान ज्यूडीशियलस्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। **(प्रारूप संलग्न)**

उपरोक्तसंदर्भित आदेशों की शेश शर्ते यथावत रहेगी ।

**निदेशक(मा०सं०)**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेशित :-

1. निजी सचिव,अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजीसचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/(परियोजनाएं)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासीनिदेशक (जानपद)/(वि०/या०)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर से प्रेशित करने का कश्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक,(कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक(आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर **"चिकित्सालयों की मान्यता शीर्शक के अन्तर्गत"** अपलोड करने हेतू।
8. कम्पनीसचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. वरिश्ठविधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. उपमुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्साधिकारी,मुख्यालय यमुना भवन, देहरादून।
12. डा० अरूण कुमार चौबे, कृश्णा सर्जिकल सैन्टर,सैयद रोड़, विकासनगर (देहरादून)।
13. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।

---

(राजेशचन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक(मा०सं०)